न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 674/III/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 13.12.2013 पारित व्दारा न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – अपील प्रकरण कमांक 140/बी–121/2011–12

दीपक दत्तक पुत्र स्व0बेटीवाई पत्नि खुमान सौर
नावालिक संरक्षक पूर्व पिता अनंतराम
निवासी ग्राम नौरपारा तहसील बल्देवगढ
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश । ---- आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ----अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)
(अनावेदक की ओर से पैनल अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 20–6 –2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 140 बी–121/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्व0 बेटीवाई पत्नि खुमान सौर (आदिवासी) ने आवेदक को 11 अप्रेल 2002 को जय पंजीकृत दस्तावेज दत्तक गोद ग्रहण किया। आवेदक के नाम से ग्राम नौरपारा स्थित भूमि सर्वे कमांक 574/25 रकबा 1.410 हैक्टर पंजीबद्व विकयपत्र से कय की गई तथा तहसील न्यायालय व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 10 पर आदेश दिनांक 22.7.2003 से नामान्तरण किया गया। इसी भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ ने कलेक्टर टीकमगढ़ को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक यादव जाति का है एंव आदिवासी महिला के गोदपुत्र होने के कारण तहसील न्यायालय व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 10 पर आदेश दिनांक 22.7.2003 से किया गया

नामान्तरण संहिता की धारा 165 के उल्लंधन में है इसलिये नामान्तरण निरस्त किया जावे। कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 87/बी–121/2009–10 पंजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2011 पारित किया एंव संहिता की धारा 165(6) का उल्लॅघन मानते हुये तहसील न्यायालय व्दारा विकय पत्र के आधार पर किया गया नामान्तरण निरस्त करते हुये भूमि विकेता प्यारे, छिद्दू पुत्र बुद्वा सौर के नाम वापिस अंकित किये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदक व्दारा अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 140 बी–121/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि मृतक महिला बेटीवाई जाति की आदिवासी है एंव विधवा एंव बेओलाद होने के कारण उसके व्दारा पंजीकृत गोदग्रहण दस्तावेज दिनॉक 11 अप्रेल 2002 से आवेदक को गोद ग्रहण किया है। हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 में विधवा महिला को दत्तक ग्रहण की पात्रता दर्शाई गई है कि पति व्दारा संसार त्याग दिया गया है विधवा महिला किसी पात्र वालक/वालिका को गोद ग्रहण कर सकती है और ऐसी विधवा महिला व्दारा गोदग्रहीत पुत्र को प्राकृतिक पुत्र के समान ही पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। 1964 MPLJ 377 भागीरथ विरूद्व नरेन्द्रदेव में ऐसा ही न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित है और जब तक पंजीकृत गोदग्रहण दस्तावेज सक्षम न्यायालय से शून्य नहीं होता, आवेदक को गोदनामा अनुसार मृतक महिला बेटीवाई पत्नि खुमान सौर (आदिवासी) का दत्तक पुत्र माना जावेगा। इस सम्बन्ध में कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 87/बी–121/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2011 में निकाले गये निष्कर्ष उचित प्रतीत नहीं होते हैं और अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा अपील प्रकरण कमांक 140 बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 में निकाले गये निष्कर्ष भी उचित नहीं ठहराये जा सकते।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में पृष्ठ कमांक 33 पर आवेदक के हित में तहसीलदार बल्देवगढ़ व्दारा जारी निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है जिसके अनुसार आवेदक का नाम दीपक सौर पुत्र खुमान सोर निवासी नोरपारा अंकित है। इसी प्रकार पृष्ठ कमांक 41 पर पूर्व

माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें आवेदक का नाम दीपककुमार आदिवासी पिता का नाम खुमान आदिवासी एंव माता का नाम श्रीमती बेटीवाई अंकित है और यही स्थिति पृष्ठ कमांक 43 पर संलग्न प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा की अंकसूची वर्ष 2008 की है । दिनांक 31.12.11 को महिला बेटीवाई पत्नि स्व.खुमान ने शपथ पत्र (अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 35 से 37) देते हुये बताया है कि उसके व्दारा बेओलाद होने के कारण दीपक (आवेदक) को गोद लिया है एंव वह उसीके साथ रहती है यदि उसके कुटुम्ब/परिवार के लोग शिकायत करते हैं तो ऐसी शिकायतों को झूँठी व निराधार मानी जावें। ऐसी स्थिति में यह तथ्य निर्विवाद हो जाता है कि आवेदक आदिवासी महिला बेटीवाई का (गोदनसीन) दत्तक पुत्र है। महिला बेटीवाई वर्ष 2011 तक जीवित रही है तथा उसके व्दारा ग्राम नौरपारा स्थित भूमि सर्वे कमांक 574/25 रकबा 1.410 हैक्टर भूमि पंजीबद्व विकयपत्र से नावालिक दत्तक पुत्र आवेदक के हित में कय की गई, जिस पर नामान्तरण की प्रकिया अपनाई जाकर जॉच उपरांत आपत्तियॉ न आने से तहसील न्यायालय व्दारा नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 10 पर आदेश दिनांक 22.7.2003 से आवेदक का नामान्तरण किया है। ऐसी स्थिति में शिकायतों के आधार पर पंजीकृत विकय पत्र के सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित हुये बिना आवेदक के हित में नामान्तरण पंजी पर आदेश दिनांक 22.7.2003 से किया गया नामान्तरण निरस्त करना न्याय की श्रेणी में नहीं माना जावेगा, किन्तु कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 87/बी–121/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2011 में इन तथ्यों पर गौर न करने की त्रृटि की हैं और अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने भी अपील प्र0क0140 बी–121/ 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 में उक्त तथ्यों को नजरन्दाज किया है , जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 87/बी–121/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2011 तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा अपील प्र0क0 140 बी–121/ 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाकर नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 10 पर आदेश दिनांक 22.7.2003 से आवेदक के हित में किया गया नामान्तरण यथावत् रहता है।

(एम0क0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर